न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु० नं 55/17 तारीख रजू 5.7.17

उनवान - हरिसिंह बनाम राधाकिशन वगै०
थाटरा शेरपुर

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा धारा अन्तर्गत 212 RTAct.

प्रार्थी की ओर से श्री रामगरोसी गुप्ता एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 RTAct के तहत पेश किया। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस के जरिये तलब कर दिनांक 26.7.17 को पेश हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

26.7.17

प्रार्थी वकील उप०/ अप्रार्थी नं. 1 से 7 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। जवाब की प्रति प्रार्थी वकील को दिलाई अप्रार्थी नं. 8 बावजूद सूचना उप० नहीं है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है वास्ते बहस दिनांक 17.8.17 को पेश हो।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

29.9.17

जनरल पेशी सि पेश हुई वकलाय उप०। बहस हेतु समय चाहा दिया गया। वास्ते बहस दि. 12.10.17 को पेश हो।

जगदीश आर्य

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक :— 30.10.2017

संक्षेप्त मे प्रार्थनापत्र अरथाई निषेधाज्ञा के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि खाता सं0 378 मे वर्णित खसरा नम्बरान 1261 रकबा 0.30 हेक्टयर, 1261/1619 रकवा 0.12 हेक्टयर, 1295 रकबा 1.79 हेक्टयर कुल किता 03 कुल रकवा 2.21 हेक्टयर स्थित ग्राम बदलेटा बुजुर्ग तहसील टोडाभीम मे स्थित है। जिसके हाल रेवन्यु रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 मे खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। इस भूमि का भूप्रबंध से पूर्व खसरा नं0 739 रकवा 7 वीघा 1 विस्वा, 766 रकवा 1 वीघा 14 विस्वा है जो मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043 से 2062 तक मे दर्शाया गया है। भूमि वर्णित मद नं0 2 प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है। हरमुख के दो पुत्र कन्हैया व धुन्धी थे, कन्हैया के वारिस अप्रार्थीगण है और धुन्धी का पुत्र जौहरी है तथा जौहरी के वारिस प्रार्थीगण है। इस भूमि पर प्रार्थीगण हिस्सा 1/2 को पिछले करीव 70 वर्षो से अपने वुजुर्ग जौहरी के समय से ही लगातार आज तक वहैसियत मालिक खातेदार काश्त करते चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर काविज है तथा अपने हिस्से की भूमि मे वाजरे की फसल काश्त कर दी है तथा कुऐ का निर्माण कर लिया है, प्रार्थीगण ने भी इस भूमि के 1/2 हिस्से मे जो उनके कब्जे मे थी वाजरे की काश्त कर दी है तथा उन्होने कुऐ का भी निर्माण कर लिया है। पूर्व मे यह भूमि चन्दे, सिद्दू, चौथी पुत्र मूला कौम चमार साकिन देह की खातेदारी की भूमि थी जिसका इन्द्राज जमावंदी संवत 2010 से 2013 व 2013 से 2016 मे दर्ज है लेकिन अप्रार्थी के वुजुर्ग कन्हैया ने वेईमानी पूर्वक चालाकी से तथा चुपचाप जौहरी की जानकारी के विना गलत व अवैध रूप से नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 08.09.1960 की धारा 16 राज0टे0एक्ट के तहत अपने नाम खुलवा लिया है तथा नायब तहसीलदार टोडाभीम से तस्दीक करा लिया है जो कतई गलत व अवैध है, नल एण्ड वोईड है तथा कानून के विपरित है। इस नामान्तकरण की भूमि के हिस्सा 1/2 की खातेदारी पूर्व मे प्रार्थीगण के वुजुर्ग जौहरी के नाम दर्ज होनी चाहिये थी चूकि कन्हैया परिवार का कर्ता धर्ता था, धुन्धी खत्म हो गया था तथा उसका पुत्र जौहरी था तथा जौहरी ने हिस्सा 1/2 को उनके जीवन मे काश्त किया है उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण काश्त कर रहे है इस प्रकार प्रार्थीगण भूमि वर्णित मद नं0 2 प्रार्थनापत्र मे हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है तथा अपने हक मे खातेदारी कराने के हकदार है। प्रार्थीगण अशिक्षित व ग्रामीण व्यक्ति है तथा एक ही परिवार की संतान है इसलिये कब्जा काश्त पर कभी कोई विवाद नही रहा था

जगदीश आर्य

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण हिस्सा 1/2 को अपने बुजुर्गो के समय से आज तक लगातार काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण का प्राइमाफेसी केस सावित है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है, यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नही है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है इसलिये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी न0 1 ता 7 की तरफ से उनके वकील ने वकालतनामा पेश किया और अप्रार्थी नं0 8 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण की तरफ से जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ व जबाव प्रार्थना पत्र मे कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नं0 1 ता 7 की खातेदारी व कब्जे की भूमि है जिसका साबिक नं0 739 रकवा 7 वीघा 1 विस्वा तथा 766 रकवा 1 वीघा 14 विस्वा है जो पूर्व मे गैरसायलान व उनके बुजुर्गो की खातेदारी व कब्जे की रही है। यह भूमि सायलान की पुश्तैनी भूमि नही रही है। यह भूमि गैरसायलन के बुजुर्ग के नाम नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 08.9.1960 को धारा 19 के तहत कन्हैया पुत्र हरमुख के नाम आयी थी। विवादित भूमि ठोक पट्टी भैरोसिंह बगैरहा के नाम दर्ज थी। गैरसायल के बुजुर्ग कन्हैया कृषक थे, कब्जा था। गैरसायलान द्वारा सायलान के खिलाफ एक मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दायर कर दिया है जिसकी रजिंश से यह मुकदमा पेश किया है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि यह भूमि सायलान व गैरसायलान की पुश्तैनी भूमि है तथा हरमुख के दो पुत्र कन्हैया व धुन्धी थे, कन्हैया के वारिस अप्रार्थीगण है और धुन्धी का पुत्र जौहरी है तथा जौहरी के पुत्र प्रार्थीगण है तथा गैरसायलान के बुजुर्ग कन्हैया के नाम गलत खातेदारी हुई है। गैरसायलान के वकील ने दौराने बहस जबाव प्रार्थना मे दर्ज तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि यह भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि है, पुश्तैनी भूमि नही रही है, अपने बुजुर्ग कन्हैया से विरासत मे मिली है जरिये नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 08.09.1960 को धारा 19 के तहत कन्हैया पत्र हरमुख के नाम आयी है। खातेदारी सही नियमानुसार व कब्जे के अनुसार आयी है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षो के वकीलो की बहस सुनी। नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 8.09.1960 चन्दे आदि कौम चमार के स्थान पर [illegible] तस्दीक हुआ है। इस प्रकार अनूसूचित

Scanned by CamScanner

जाति की जमीन सबर्ण जाति के नाम हुई है। यह ट्रांजेक्शन अवैध व कानून सम्मत नही है। इस प्रकार सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अतः प्रार्थनापत्र सायलान अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(जगदीश-आर्य)
जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर टोडाभीम
टोडाभीम

उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम, जिला-करौली (राज०)